ऐसे कर्मचारियों को पुरस्कृत करना सराहनीय है। हालाँकि, यदि वादा किया गया प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है, तो न केवल उच्च अधिकारियों के वादे पर कर्मचारियों का विश्वास डगमगा जाएगा, बल्कि प्रोत्साहन से जिस उद्देश्य की पूर्ति होने की संभावना है, वह भी विफल हो जाएगा। इस प्रकार, अधिकारियों को अपना वादा निभाना अच्छा होगा ताकि अनुशासित कर्मचारियों की घटती संख्या कम न हो। वर्तमान मामले में जो वादा निभाया जाना चाहिए था, उसे बिना किसी उचित कारण के तोड़ दिया गया है।

(7) तद्नुसार रिट याचिका स्वीकार की जाती है। उत्तरदाताओं को सामान्य वेतन वृद्धि की तारीख को प्रभावित किए बिना 8 फरवरी, 1978 से याचिकाकर्ता को वेतन वृद्धि जारी करने का निर्देश दिया जाता है। उनका वेतन मूल एवं संशोधित वेतनमान में पुनः निर्धारित किया जाए। याचिकाकर्ता को प्रति वर्ष 12 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित बकाया वेतन की प्रकृति में परिणामी राहत भी दी जाएगी। आज से दो महीने की अवधि के भीतर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। याचिकाकर्ता अपनी लागत का भी हकदार है, जिसका मूल्यांकन रुपये किया गया है। 3,000.

आरएनआर

*पहले: ए, एल. बहरी*और एचएस बेदी, जेजे।

बीपी गुप्ता, अपीलकर्ता।

बनाम

भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली, और

अन्य,-प्रतिवादी।

*कंपनी अपील संख्या*1986 का 8.

4 सितंबर 1991.

कंपनी अधिनियम(1956 का 1)—एस.एस. 446 एवं 483—लंबित वाद को निपटान के लिए उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया—डिक्री पारित की गई, जिसके विरुद्ध कंपनी की अपील
विचारणीय है। वाइंडिंग की बात

*आयोजित,*चूँकि वर्तमान मामले में
कंपनी की ओर से दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित मुकदमे को निपटान के लिए स्थानांतरित कर दिया गया था, उस मुकदमे में पारित कोई भी आदेश कंपनी अधिनियम की धारा 483 के तहत अपील योग्य होगा। इसलिए, वर्तमान अपील को कंपनी अधिनियम की धारा 483 के तहत कायम रखा जाता है।

((पैरा 66 एवं 7)

(2) *बैंक - बैंकरों के पास अलग-अलग शाखाओं में विभिन्न खातों में ग्राहक के धन पर ग्रहणाधिकार होता है - एक खाते में देय धन को दूसरे खाते में पड़े धन से उपयुक्त करने के लिए बैंक के पास खुला है - ऐसा सामान्य अधिकार नियम और शर्तों के अधीन है, इसके विपरीत उल्लेख किया गया है अनुबंध।*

*आयोजित,*कि एक बैंकर के पास बैंक के विभिन्न खातों और विभिन्न शाखाओं में ग्राहक के धन पर ग्रहणाधिकार होता है। बैंक एक खाते में देय ग्राहक के पैसे से दूसरे खाते में पड़े पैसे को उचित करने के लिए स्वतंत्र है। इसी तरह बैंक को ग्राहक के विभिन्न खातों को मिलाने और मुकदमा दायर करके बैंक को देय राशि की वसूली करने का भी अधिकार है। इस संबंध में बैंकर के ग्रहणाधिकार का सिद्धांत विभिन्न न्यायिक घोषणाओं में अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है।

(पैरा 11)

*आयोजित,*कि बैंक को ग्राहक के विभिन्न खातों को एक करने का अधिकार था। बैंक के उपरोक्त अधिकारों का जिक्र करते समय, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस तरह का अधिकार व्यक्तिगत मामलों में बैंक और ग्राहकों के बीच किए गए अनुबंध के नियमों और शर्तों द्वारा शासित होता है। दूसरे शब्दों में ऐसा सामान्य अधिकार इसके विपरीत नियमों और शर्तों के अधीन है; अनुबंध में उल्लिखित है.

(पैरा 11)

(3) *सिविल प्रक्रिया संहिता,*1908—ओ. 7 आरएल. 7—वादी—वादे में, बैंक को देय किस्त का संदर्भ दिया गया है—प्रार्थना खंड में गलती से हटा दिया गया है—बैंक देय किस्त के संबंध में डिक्री का हकदार है।

*आयोजित,*वादी में प्रतिवादियों की ओर से बैंक को देय इस राशि का संदर्भ दिया गया था, हालाँकि प्रार्थना खंड में इस किस्त की राशि शायद गलती से छोड़ दी गई थी। इसके बावजूद, वादी-बैंक 7वीं किस्त की राशि के संबंध में डिक्री का हकदार होगा, जिसे 0.7 आरएल के मद्देनजर उधारकर्ता-कंपनी द्वारा बैंक को भुगतान नहीं किया गया था। सिविल प्रक्रिया संहिता के 7 और आईएल जानकीराम अय्यर और अन्य बनाम पीएम नीलकंठ अय्यर और अन्य में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, एआईआर 1962 एससी 633।

(पैरा 14)

(4) *बैंकर ग्राहक - प्रस्तुत गारंटियों के संबंध में निष्पादित दस्तावेज़ - ये गारंटियाँ बैंक को अतिरिक्त प्रतिभूतियाँ और गारंटियाँ प्रदान करती हैं जो*

पहले से ही प्रस्तुत की गई ऐसी गारंटियों को प्रभावित नहीं करेंगी - यह माना जाता है कि पिछले गारंटरों ने बैंक को अतिरिक्त गारंटियाँ और उनकी देनदारी के लिए लिखित रूप में सहमति दी थी उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।.

*आयोजित,*जहाँ तक नकद ऋण सीमा खातों का सवाल है, इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसी तरह के दस्तावेज़ थे

प्रस्तुत गारंटियों के संबंध में निष्पादित। बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली गारंटियों में अतिरिक्त प्रतिभूतियाँ और गारंटियाँ होती हैं जो प्रस्तुत की गई ऐसी गारंटियों को प्रभावित नहीं करेंगी। ऐसे मामले में यह माना जाएगा कि पिछले गारंटरों ने अतिरिक्त गारंटी के लिए बैंक को लिखित रूप में सहमति दी थी और उनकी देनदारी प्रभावित नहीं होगी। वर्तमान मामले के तथ्यों पर इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने में विद्वान एकल न्यायाधीश बिल्कुल सही थे।

(पैरा 21)

*धारा के अंतर्गत कंपनी अपील*कंपनी अधिनियम की धारा 483 में प्रार्थना की गई है कि विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को रद्द किया जा सकता है और लागत के साथ अपील की अनुमति दी जा सकती है।

अपीलकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एलएम सूरी, अधिवक्ता अरुण कुमार के साथ।

आरकेप्रतिवादी नंबर 1 के लिए छिब्बर, वरिष्ठ अधिवक्ता, एमएम चौधरी और आनंद छिब्बर, अधिवक्ता।

जय-श्री ठाकुर, वकील, प्रतिवादी संख्या 2 के लिए।

प्रतिवादी संख्या 3 से 8 के लिए वकील ए.के.जायसवाल।

आदेश

एक।एल. बहरी, जे.

.खबरदार , इस निर्णय से चार कंपनी अपीलों (सीए संख्या 8 से 11, 1986) का निपटारा किया जा रहा है क्योंकि वे दो कंपनी याचिकाओं (सीपी संख्या 69 और 75) में कंपनी न्यायाधीश के 1 नवंबर 1985 के सामान्य निर्णय और डिक्री से उत्पन्न हुई हैं। 1982 का)। उपरोक्त याचिकाओं को स्वीकार करते हुए, कंपनी न्यायाधीश ने उधारकर्ता- कंपनी (अब परिसमापन में) और अन्य, गारंटरों के खिलाफ वादी भारतीय स्टेट बैंक के पक्ष में डिक्री पारित की। वर्तमान अपीलें विभिन्न गारंटरों द्वारा दायर की गई हैं।

(2) उधारकर्ता-कंपनी प्रतिवादी नंबर 1 है- मेसर्स डेप्रो फूड्स लिमिटेड। इसने भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली शाखा के साथ एक समझौता किया, जिसे एक विदेशी कंपनी को पैसे के भुगतान के लिए गारंटर के रूप में खड़ा होना था, जिससे मेसर्स डीओप्रो फूड्स लिमिटेड को मशीनरी आयात करनी थी। मशीनरी की कीमत किस्तों में देय थी और कंपनी को भारतीय स्टेट बैंक को किस्तों में भुगतान करना था। यह समझौता 26 जून, 1970 को किया गया था और इस अनुबंध को 'स्थगित भुगतान गारंटी' के रूप में जाना जाता है। प्रतिवादी संख्या, 2 से 6

गारंटर खड़े थे और प्रतिवादी नंबर 8 की संपत्ति समान रूप से गिरवी रखी गई थी। जब दो किस्तें बकाया हो जाती हैं, तो बैंक वसूल करता है-। कंपनी के खाते में राशि डेबिट करके समान जमा करें। इसके बाद कुछ और किश्तें बताई गईं और कंपनी रकम चुकाने में असमर्थ रही। इस बीच कंपनी को रुपये की सीमा तक नकद-क्रेडिट सीमा मिली। 26 फरवरी, 1972 को बहालगढ़ में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में 6,00,000 रु थे इस सीमा को बढ़ाकर रु. 14 मार्च 1973 को 6,50,000 कर दिया गया। इस खाते की देनदारी के लिए केवल प्रतिवादी संख्या 2 और 3 गारंटर थे। इस खाते को दूसरे खाते के नाम से जाना जाएगा. बैंक ने आस्थगित भुगतान गारंटी की राशि की चार किस्तों के संबंध में इस खाते से डेबिट किया। एक और खाता 16 मार्च 1974 को रुपये की नकद क्रेडिट सीमा के साथ खोला गया था। 1,00,000. इस खाते में केवल प्रतिवादी संख्या 2 ही गारंटर था। पांचवां खाता जिसमें नकद क्रेडिट सीमा रु. 7,50,000 की राशि 21 मार्च 1975 को खोली गई थी और गारंटर प्रतिवादी संख्या 2, 4, 5 और 6 थे। इसके बाद, नकद ऋण सीमा को बढ़ाकर रु. कर दिया गया। 15,00,000. 13 दिसंबर, 19761 को छठे खाते के रूप में जाना जाता है जिसके लिए प्रतिवादी संख्या 2, 4, 6 और 7 गारंटर थे। इसी खाते में पिछले खाते क्रमांक 2, 4 और 5 को मिला दिया गया था। इसके बाद, सीमा बढ़ाकर रु। 8 जनवरी 1977 को 45,00,000 और इस खाते के गारंटर केवल प्रतिवादी संख्या 2 और 4 थे। इसे सातवें खाते के रूप में जाना जाएगा। वादी-बैंक ने रुपये की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया। 70,26,642.23 जो दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित था। उधारकर्ता कंपनी मेसर्स डेप्रो फूड्स लिमिटेड को बंद करने की कार्यवाही इस उच्च न्यायालय में शुरू की गई थी और बाद में कंपनी न्यायाधीश के आदेश के तहत, दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित मुकदमा इस उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसे सीपी नंबर के रूप में पंजीकृत किया गया था। 1982 का 69। उपरोक्त याचिका/मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, चूंकि 'आस्थगित भुगतान गारंटी' के तहत अधिक किश्तें देय हो गईं, वादी-बैंक ने वसूली के लिए एक और मुकदमा दायर किया, जिसे 1982 के सीपी नंबर 75 के रूप में इस न्यायालय में पंजीकृत किया गया था। रुपये का 208616.29 पैसे. इन दोनों याचिकाओं/मुकदमों पर एक साथ मुकदमा चलाया गया और एक ही निर्णय

द्वारा निपटारा किया गया। 1982 के उपरोक्त सीपी नंबर 69 और 75 में प्रतिवादी नंबर 8-बीपी गुप्ता द्वारा क्रमशः सीए नंबर 10 और 8 दायर किए गए हैं, जबकि अन्य गारंटरों ने उपरोक्त मामलों में क्रमशः अपील नंबर 11 और 9 दायर किए हैं।

(3) बैंक की ओर से एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि उपरोक्त कंपनी अपीलें सुनवाई योग्य नहीं हैं और इसके बजाय अपील में शामिल राशि पर यथामूल्य अदालत शुल्क के भुगतान पर पत्र पेटेंट अपील दायर की जानी चाहिए थी। श्री आर.के. छिब्बर, अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित सिविल मुकदमा इस न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया है

न्यायालय के रूप में और यद्यपि इसे गलती से सीपी नंबर 69 के रूप में पंजीकृत किया गया था, इसका निपटारा इस न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा किया गया था, न कि कंपनी न्यायाधीश के रूप में। अन्य सिविल मुकदमे की सुनवाई उच्च न्यायालय द्वारा की गई, जिसके परिणामस्वरूप सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत एक डिक्री दी गई, कंपनी की अपील सुनवाई योग्य नहीं थी और लेटर पेटेंट के तहत अपील सुनवाई योग्य होगी और वह भी यथामूल्य अदालत शुल्क के भुगतान पर और कंपनी अधिनियम के तहत कोर्ट-फी तय नहीं है। इस विवाद में कोई दम नहीं है.

(4) कंपनी अधिनियम की धारा 446 इस प्रकार है: - "446(1)। जब समापन आदेश दिया गया है या आधिकारिक परिसमापक को अनंतिम परिसमापक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी, या यदि समापन आदेश की तारीख पर लंबित है, तो कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय की अनुमति को छोड़कर, और ऐसी शर्तों के अधीन जो न्यायालय लगा सकता है।

(2) जो न्यायालय कंपनी को बंद कर रहा है, उस समय लागू किसी भी अन्य कानून में किसी भी बात के बावजूद, उसके पास विचार करने या निपटान करने का अधिकार क्षेत्र होगा ■

(a) कंपनी के विरुद्ध कोई मुकदमा या कार्यवाही;

(b) कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध किया गया कोई भी दावा (भारत में उसकी किसी भी शाखा द्वारा या उसके विरुद्ध किए गए दावों सहित)।

(c) कंपनी द्वारा या उसके संबंध में धारा 391 के तहत किया गया कोई भी आवेदन;

(d) प्राथमिकताओं का कोई प्रश्न या कोई अन्य प्रश्न, चाहे वह कानून का हो या तथ्य का, जो कंपनी के समापन के दौरान संबंधित हो या उत्पन्न हो; क्या ऐसा मुकदमा या कार्यवाही शुरू की गई है या शुरू की गई है, या ऐसा दावा या प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न हुआ है या ऐसा आवेदन कंपनी

के समापन के आदेश से पहले या बाद में किया गया है, या शुरू होने से पहले या बाद में किया गया है कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1960।

(3) कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध कोई भी मुकदमा या कार्यवाही, जो उस न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय में लंबित है, जिसमें कंपनी के समापन की कार्यवाही चल रही है, किसी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद हो सकता है।

समय प्रभावी होने पर, उस न्यायालय को हस्तांतरित और निपटारा किया जाएगा।

(4) उप-धारा (1) या उप-धारा (3) में कुछ भी उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में लंबित किसी भी कार्यवाही पर लागू नहीं होगा।

(5) में। ऊपर उल्लिखित धारा 446 की उपधारा (1) के अनुसार, इस न्यायालय द्वारा कंपनी को बंद करने का आदेश दिए जाने के बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय में कंपनी के खिलाफ लंबित मुकदमे की सुनवाई आगे नहीं बढ़नी थी, सिवाय इसके कि इस न्यायालय की अनुमति से. ऊपर उल्लिखित धारा 446 की उप-धारा (2) इस न्यायालय को अधिकार देती है, जहां कंपनी को बंद करने की कार्यवाही लंबित थी, ताकि कंपनी के खिलाफ मुकदमों पर विचार किया जा सके और उनका निपटारा किया जा सके। धारा 446 की उपधारा (3) कंपनी के खिलाफ अन्य अदालतों में लंबित मुकदमों के हस्तांतरण पर विचार करती है, जिन्हें इस अदालत में बंद किया जा रहा है। उपरोक्त प्रावधान का एकमात्र अपवाद धारा 446 की उप-धारा (4) में निहित है कि ऐसी कोई भी कार्यवाही स्थानांतरित नहीं की जाएगी जहां ऐसी कार्यवाही सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में लंबित हो। वर्तमान मामले में केवल मुकदमा दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित था जब कंपनी को बंद करने का आदेश इस न्यायालय द्वारा पारित किया गया था। परिसमापक के आवेदन पर, उस मुकदमे को इस न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश इस न्यायालय द्वारा पारित किया गया था और इसलिए स्थानांतरण पर उक्त मुकदमा 1982 के सीपी नंबर 69 के रूप में पंजीकृत किया गया था। कंपनी अधिनियम की धारा 483 इस प्रकार है: -

"483. न्यायालय द्वारा किसी कंपनी को बंद करने के मामले में दिए गए किसी भी आदेश, या दिए गए निर्णय के खिलाफ अपील उसी न्यायालय में की जाएगी, जिसमें उसी तरीके से, और उन्हीं शर्तों के अधीन होगी, जिनके तहत अपील की जाती है। अपने सामान्य क्षेत्राधिकार के भीतर के मामलों में न्यायालय का कोई भी आदेश

या निर्णय,"

(6) चूँकि वर्तमान मामले में कंपनी के समापन के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित मुकदमा निपटान के लिए स्थानांतरित कर दिया गया था, उस मुकदमे में पारित कोई भी आदेश कंपनी अधिनियम की धारा 483 के तहत अपील योग्य होगा जैसा कि ऊपर दिया गया है क्योंकि यह संबंधित है किसी कंपनी को बंद करने का मामला.

(7) इसलिए, वर्तमान अपील को कंपनी अधिनियम की धारा 483 के तहत कायम रखा जाता है। दूसरा मुकदमा उच्च न्यायालय में ही दायर किया गया था क्योंकि समापन की कार्यवाही लंबित थी

कंपनी इस न्यायालय में. मुकदमे की सुनवाई कंपनी अधिनियम की धारा 446 के मद्देनजर की गई थी और उसमें दिया गया निर्णय उपरोक्त अधिनियम की धारा 483 के मद्देनजर अपील योग्य है।

(8) 1982 के सीपी नंबर 69 में प्रतिवादी नंबर 8 श्री बीपी गुप्ता की देनदारी रुपये तय की गई थी। 'स्थगित भुगतान गारंटी' की किश्त संख्या 3 से 7 तक की कुल राशि में से 2,27,466.05 पैसे रुपये का क्रेडिट दिया गया था। उपरोक्त आंकड़े पर पहुंचने के लिए बैंक द्वारा 62,000 की वसूली की गई। इसी तरह 'स्थगित भुगतान गारंटी' के गारंटरों की देनदारी भी तय की गई। इस स्तर पर विवरण आवश्यक नहीं है. कुछ तर्क प्रतिवादी संख्या 8 और 'आस्थगित भुगतान गारंटी' के अन्य गारंटरों से संबंधित थे, जो नकद-क्रेडिट सीमा खातों के बाद के समझौतों में गारंटर नहीं बने थे। प्रतिवादी संख्या 8 के संबंध में दर्ज किए जा रहे कारण ऐसे अन्य गारंटरों के निर्णय के लिए भी आकर्षित हो सकते हैं।

(9) एक्ज़िबिट पीएल 23 जून, 1970 का समझौता है, जिसके तहत कंपनी मेसर्स डेप्रो फूड्स लिमिटेड ने बैंक को आयात की जाने वाली मशीनरी की राशि का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की थी। प्रदर्शनी पी.2 रुपये की जमा राशि पर बैंक को दी गई गारंटी है। 6,18,390.00. प्रदर्शन पी.3 अन्य प्रतिवादियों, अर्थात् एचपी मित्तल और अन्य द्वारा दी गई गारंटी है। बीपी गुप्ता, प्रतिवादी नंबर 8, ने अपनी संपत्ति को साम्यिक बंधक द्वारा गिरवी रखा था और इस तरह वह उपरोक्त राशि के लिए उत्तरदायी बनता है। वादी-बैंक ने दिए गए खाते के विवरण पर भरोसा किया, जिससे पता चला कि तीसरी, चौथी, पांचवीं और छठी किश्तों की राशि कंपनी के कैश क्रेडिट खाते से डेबिट की गई थी क्योंकि कंपनी ने किश्तों के भुगतान की तारीख पर राशि का भुगतान नहीं किया था। . इस प्रकार किश्तों की राशि का भुगतान न करने के संबंध में प्रतिवादी संख्या 8 का दायित्व अभी भी बना हुआ है।

(10) अपीलकर्ता-प्रतिवादी नंबर 8 की ओर से यह तर्क दिया गया है कि कंपनी के कैश क्रेडिट खाते में 'स्थगित भुगतान गारंटी' के तहत देय चार किश्तों की राशि डेबिट करने से, प्रतिवादी नंबर 8 की देनदारी समाप्त हो गई

है। उपरोक्त रकम को डेबिट करने पर यह माना जाना चाहिए कि रकम का भुगतान बैंक को कर दिया गया है। इस तर्क को 'विलंबित भुगतान गारंटी' जे1 के अन्य गारंटरों के विद्वान वकील द्वारा भी लागू किया गया है। ': ऊपर उल्लिखित बाद के खातों में कंपनी की देनदारी के लिए एमएमडी गारंटी।

(11) एक बैंकर के पास विभिन्न खातों और विभिन्न शाखाओं में ग्राहक के धन पर ग्रहणाधिकार होता है

किनारा। बैंक एक खाते में देय ग्राहक के पैसे से दूसरे खाते में पड़े पैसे को उचित करने के लिए स्वतंत्र है। इसी प्रकार बैंक को ग्राहक के विभिन्न खातों को मिलाने और बैंक को देय राशि की वसूली करने का भी अधिकार है।

मुकदमा दायर करके. इस संबंध में बैंकर के ग्रहणाधिकार के सिद्धांत को विभिन्न न्यायिक घोषणाओं में अच्छी तरह से मान्यता दी गई है। उनमें से कुछ पर ध्यान दिया जा सकता है। हेलसोवेन प्रेसवर्क एंड असेंबलीज़ लिमिटेड बनाम वेस्टमिंस्टर बैंक लिमिटेड (1)। इस मामले में खातों के समायोजन और एकीकरण के अधिकार को मान्यता दी गई थी; पंजाब नेशनल बैंक बनाम सत्यपाल विरमानी (2), (पंजाब), बैंक के पक्ष में सभी प्रतिभूतियों पर बैंकर्स के ग्रहणाधिकार को मान्यता दी गई, एन. मोहम्मद हुसैन साहब बनाम द चार्टर्ड बैंक, मद्रास और अन्य(3). एकत्र किए गए चेक की राशि को समायोजित करने का बैंक का अधिकार----------मैं

जिस खाते में बैंक को पैसा बकाया था, उसे मान्यता दे दी गई। यह भी देखा गया कि बैंक के पास ग्राहक के विभिन्न खातों को मिलाने का अधिकार था। बैंक के उपरोक्त अधिकारों का जिक्र करते समय, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस तरह का अधिकार व्यक्तिगत मामलों में बैंक और ग्राहकों के बीच किए गए अनुबंध के नियमों और शर्तों द्वारा शासित होता है। दूसरे शब्दों में ऐसा सामान्य अधिकार अनुबंध में उल्लिखित विपरीत नियमों और शर्तों के अधीन है।

(12) प्रतिवादी संख्या 8 श्री बी.पी. गुप्ता ने 'स्थगित भुगतान गारंटी' के संबंध में अपनी संपत्ति गिरवी रख दी थी। जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने सही ढंग से माना है, उसका दायित्व विदेशी-कंपनी को भुगतान

की गई राशि के संबंध में उधारकर्ता-कंपनी से बैंक को देय राशि के संबंध में गिरवी रखी गई संपत्ति के मूल्य की सीमा तक है, जिसके लिए वादी- बैंक गारंटर के तौर पर खड़ा था. प्रतिवादी संख्या 8 श्री बी.पी. गुप्ता को प्रतिवादी-कंपनी के वादी-बैंक की किसी भी शाखा या शाखाओं में खोले और संचालित अन्य खातों से कोई सरोकार नहीं है। भले ही कंपनी की देनदारी 'कैश-क्रेडिट खाते' के तहत देय राशि तक फैली हो, जो रुपये की सीमा तक है। 45,00,000.00 (खाता संख्या 7), प्रतिवादी संख्या 8 पर ऐसे किसी दायित्व का बोझ नहीं डाला जा सकता। जहां तक प्रतिवादी संख्या 8 का संबंध है, विचारणीय महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या चार किश्तों संख्या 3 से 6 की राशि, जिसे बैंक ने कंपनी के कैश-क्रेडिट खाते में डेबिट करके समायोजित किया था, कर सकता है? उससे वसूली की जाए। उत्तर नकारात्मक है. जैसा कि पहले दो के मामले में हुआ था

(1) 1970 (1) ऑल इंग्लैंड रिपोर्टर 33.

(2) 1956 (26) कंपनी मामले 135।

(3) एआईआर 1965 मद्रास 266।

किश्तें बैंक ने कंपनी के उस खाते से काट लीं जो बैंक की नई दिल्ली शाखा में था। बाद में देय चार किस्तों की राशि को नकद क्रेडिट खाते से विनियोजित करके समायोजित किया गया था, जिसे वादी के बैंक की बहालगढ़ शाखा में 1972 में रुपये की सीमा में खोला गया था। 6,00,000 (खाता संख्या 2)। यदि नकद क्रेडिट सीमा प्रदान नहीं की गई होती, और कंपनी के पास बैंक की बहालगढ़ शाखा में खाते में कोई क्रेडिट शेष नहीं होता, तो ऐसे खाते से राशि आवंटित करने का कोई अवसर नहीं होता। डेबिट प्रविष्टियाँ करने का मतलब यह था कि उस खाते से राशि बैंक से निकाल ली गई थी और 'आस्थगित भुगतान गारंटी' खाते में समायोजन के लिए नई दिल्ली शाखा के खाते में भुगतान कर दिया गया था।

(13) अधिवक्ता श्री आर.के. छिब्बर का तर्क यह है कि बैंक स्वयं एक इकाई है और इसकी शाखाएँ भी स्वतंत्र इकाई हैं। यह तर्क उधार लेने वाली कंपनी से वादी-बैंक को देय धन के संबंध में आग्रह किया गया है, हालांकि उधार लेने वाली कंपनी का बैंक की विभिन्न शाखाओं में अलग-अलग शाखाओं में खाता हो सकता है। वर्तमान मामले में 'आस्थगित भुगतान गारंटी' समझौता वादी के बैंक की नई दिल्ली शाखा से संबंधित है, जिसमें उधार लेने वाली कंपनी के पास एक अन्य चालू खाता भी था। इसके बाद वादी-बैंक की बहालगढ़ शाखा में समय-समय पर नकद ऋण सीमा निर्धारित करने और बढ़ाने के लिए अन्य खाते खोले गए, जैसा कि ऊपर बताया गया है। बैंक के वकील श्री आर.के. छिब्बर के इस तर्क को स्वीकार करते हुए कि कंपनी की विभिन्न शाखाओं और विभिन्न खातों में पड़ी राशि को उधार लेने वाली कंपनी से देय राशि के संबंध में वादी-बैंक द्वारा विनियोजित किया जा सकता है, यह किया गया है ऊपर माना गया है कि 'आस्थगित भुगतान गारंटी' की राशि की चार किस्तें बैंक द्वारा उधार लेने वाली कंपनी के खाते के विरुद्ध उचित रूप से विनियोजित की गई थीं, जो बहालगढ़ शाखा में खोला गया था। श्री छिब्बर का आगे तर्क यह है कि वास्तव में उधार लेने वाली कंपनी ने बैंक की नई दिल्ली शाखा को जहां 'आस्थगित भुगतान गारंटी' समझौता किया गया था, या बैंक की बहालगढ़ शाखा को किश्तों का भुगतान नहीं किया। खातों को सीधा रखने के लिए, डेबिट की प्रविष्टियाँ उधार लेने वाली कंपनी के बहालगढ़ शाखा में नकद-क्रेडिट खाते में की गईं, जिसे नई दिल्ली शाखा द्वारा उस सीमा तक डेबिट किया गया था। सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए, राशि 'आस्थगित भुगतान गारंटी' समझौते के तहत बैंक को देय रही। यह तर्क आकर्षक और आकर्षक प्रतीत होता है लेकिन कानून में यह संभव नहीं है। -जहां तक प्रतिवादी नंबर 8 और अन्य गारंटरों का सवाल है, जिनके पास बाद के नकद क्रेडिट सीमा खातों में गारंटी नहीं थी। योग्यता के रूप में

उन्हें कंपनी के नकद क्रेडिट सीमा खाते से किया गया विनियोग नई दिल्ली शाखा के 'आस्थगित भुगतान गारंटी' खाते में भुगतान के बराबर था। बहालगढ़ में नकद ऋण खातों में स्वीकृत सीमा तक, उधारकर्ता-कंपनी भी राशि निकाल सकती है और फिर उसे नई दिल्ली बैंक शाखा में 'आस्थगित भुगतान गारंटी खाते' में जमा कर सकती है।

(14) 1982 के सीपी नंबर 69 में बैंक ने 'स्थगित भुगतान गारंटी' की 7वीं किस्त की राशि का भी दावा किया। वादपत्र के पैरा 24 में प्रतिवादियों की ओर से बैंक को देय इस राशि का संदर्भ दिया गया था, हालांकि प्रार्थना खंड में इस किस्त की राशि शायद गलती से छूट गई थी। इसके बावजूद, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 7 के मद्देनजर, वादी-बैंक 7वीं किस्त की राशि के संबंध में डिक्री का हकदार होगा, जिसे उधारकर्ता-कंपनी द्वारा बैंक को भुगतान नहीं किया गया था। आईएल जानकीराम अय्यर और अन्य बनाम पीएम नीलकंठ अय्यर एंड अदर्स (4) मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इस मामले में यह माना गया कि वादपत्र पर विचार करते समय न्यायालय को वादपत्र में लगाए गए सभी प्रासंगिक आरोपों को ध्यान में रखना चाहिए और मामले के सार को देखना चाहिए, न कि उसके स्वरूप को। मेहर चंद बनाम मिल्खी राम (5) में, यह माना गया कि यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह दी जाने वाली राहत को प्रस्तुत और साबित किए गए तथ्यों के आधार पर तय करे। मकसूद अली बनाम जाहिद अली सब्ज़पोश (6) में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक ऐसे मामले में जहां वादी ने वक्फ संपत्ति की आय का 10वां हिस्सा दावा किया था, उसे वाद में संशोधन के बिना 1वें हिस्से की सीमा तक डिक्री की अनुमति दी गई थी। वादी को इसका हकदार पाया गया। एकल न्यायाधीश बैंक के पक्ष में और साथ ही प्रतिवादी संख्या 8 श्री बीपी गुप्ता अपीलकर्ता और अन्य गारंटरों के खिलाफ 7वीं किस्त की राशि का फैसला देने में बिल्कुल सही थे।

(15) 'आस्थगित भुगतान गारंटी' के तहत 7वीं किस्त की राशि उधारकर्ता-कंपनी के नकद क्रेडिट खाते से डेबिट नहीं की गई थी। ऐसी प्रविष्टि विरोध बिल खाते में की गई थी। अपीलकर्ता के विद्वान वकील का

तर्क है कि गारंटर विरोध किए गए बिल खाते के तहत देय किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं थे या 7 वीं किस्त के विरोध बिल खाते में डेबिट प्रविष्टि करने से, गारंटर का दायित्व समाप्त नहीं हो सकता है स्वीकृत होना। इसे स्पष्ट करने के लिए

(4) एआईआर 1962 एससी 633।

(5) एआईआर 1932 लाहौर 401 (एफबी)।

(6) एआईआर 1954 इलाहाबाद 385।

यह कहा जा सकता है कि विरोध बिल खाता वह खाता नहीं है जहां ग्राहक किसी अनुबंध के तहत अपने क्रेडिट में कोई पैसा रखता है। जब बैंक को पता चलता है कि किसी ग्राहक का कोई खाता पुराना हो गया है, या निष्क्रिय प्रविष्टियों को दूसरे रजिस्टर में ले जाया जाता है, जिसे विरोध बिल खाते के रूप में जाना जाता है और बैंक मूल खाते में समय-समय पर देय ब्याज की आगे की प्रविष्टियाँ करना बंद कर देता है। ऐसा केवल तभी होता है जब मुकदमा दायर करके राशि का दावा किया जाता है कि गणना देय ब्याज से की जाती है जो अनुबंध के तहत देय राशि में जोड़ा जाता है। अपीलकर्ता के विद्वान वकील का यह तर्क कि उधारकर्ता-कंपनी या गारंटर, अपीलकर्ता को विरोध किए गए बिल खाते के बारे में कोई जानकारी नहीं थी या इससे कोई सरोकार नहीं है, कोई मायने नहीं रखता। वादी का मुकदमा 'आस्थगित भुगतान गारंटी' के तहत देय राशि की किश्तों का भुगतान न करने पर आधारित है और इस प्रकार यह चलने योग्य है। बैंक को 'आस्थगित भुगतान गारंटी' का कोई अलग खाता नहीं रखना था और यदि ऐसा कोई खाता तैयार किया गया था और न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया तो भी इसका कोई परिणाम नहीं होगा। जिन तारीखों पर किश्तें बकाया थीं, उनका उल्लेख समझौतों में किया गया है। माना कि किश्तों की राशि का भुगतान नियत तिथि पर नहीं किया गया। बाकी पूर्वोक्त समझौते के अनुसार ब्याज की गणना का मामला है, जिसका डिक्री पारित होने की स्थिति में वादी-बैंक हकदार होगा। तथ्यों के आधार पर यह विवादित नहीं है कि 7वीं किस्त की राशि का भुगतान उधारकर्ता-कंपनी द्वारा नहीं किया गया था और इसे कंपनी के किसी भी खाते से विनियोजित नहीं किया गया था। इस सीमा तक प्रतिवादी संख्या 8 या अन्य गारंटर भुगतान के दायित्व से बच नहीं सकते।

(16) अधिवक्ता श्री आर.के. छिब्बर ने तर्क दिया है कि बैंक 'विलंबित भुगतान गारंटी' खाते के तहत देय राशि के भुगतान के लिए भी अतिरिक्त गारंटी दे सकता है। उपरोक्त खाते के गारंटरों द्वारा दी गई गारंटी का संदर्भ दिया गया है जो बैंक द्वारा अतिरिक्त गारंटी रखने पर रोक नहीं लगाता है। विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या नकद साख सीमा खातों में समय-समय पर जमा की गई गारंटी वास्तव में 'आस्थगित भुगतान गारंटी' खाते पर देय राशि

के संबंध में थी या नहीं? गारंटी के उन समझौतों को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि 'आस्थगित भुगतान गारंटी' खाते के तहत देय राशि का कोई संदर्भ नहीं दिया गया था। चूँकि उधारकर्ता-कंपनी को कारखाना स्थापित करना था, इस तथ्य के अलावा कि मशीनरी विदेश से आयात की गई थी और पैसा बैंक द्वारा किश्तों में भुगतान किया जाना था, कंपनी को कारखाना चलाने के लिए और अधिक धन की आवश्यकता थी जिससे उसे नकद ऋण सीमा प्राप्त हुई जिससे वृद्धि हुई समय - समय पर। 'आस्थगित भुगतान गारंटी' खाते को नकद ऋण खातों से जोड़ने का एकमात्र तथ्य

बहालगढ़ शाखा में एक चरण में बैंक द्वारा 4 किश्तों की राशि का विनियोजन किया गया था। अंततः यह देखा जा सकता है कि नकद क्रेडिट सीमा के तहत देय राशि नकद क्रेडिट सीमा में वृद्धि प्राप्त करने के लिए उधारकर्ता कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रोनोट्स के विचार का हिस्सा थी। 'स्थगित भुगतान गारंटी' खाते के सभी गारंटरों की सहमति नहीं ली गई। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि बाद के चरणों में सभी गारंटरों के पास विभिन्न नकद क्रेडिट खातों के तहत देय राशि की गारंटी नहीं थी। अधिवक्ता श्री छिब्बर का तर्क यह है कि नकद क्रेडिट सीमा खाते खोलते समय अधिक गारंटर प्राप्त करके बैंक ने अतिरिक्त सुरक्षा के माध्यम से उधार लेने वाली कंपनी से देय राशि सुरक्षित कर ली। यह विवाद निराधार है. ऊपर उल्लिखित नए नकद क्रेडिट सीमा खाते के संबंध में दी गई बाद की गारंटियों में, उधारकर्ता-कंपनी से पहले देय राशि के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया था, जो कि 'आस्थगित भुगतान गारंटी' के कारण है। वास्तव में खोले गए विभिन्न नए नकद ऋण खातों से संबंधित बाद की गारंटियां ऐसे खातों के तहत अनुमत सीमा से संबंधित थीं।

(17) अपीलीय गारंटरों के लिए वकील द्वारा सीखी गई पहली दलील यह है कि नकद ऋण सीमा के बाद के अनुबंधों में प्रवेश करने से 'विलंबित भुगतान गारंटी' समझौते के संबंध में गारंटरों द्वारा दी गई गारंटी समाप्त हो गई है क्योंकि यह ऐसे गारंटरों की सहमति के बिना अनुबंध में बदलाव के समान है। इस विवाद के समर्थन में इस विषय पर न्यायिक घोषणाओं का संदर्भ दिया गया है। मूल निर्णय सेठ प्रताप सिंह मोहोलालभाई और दूसरे वी. केशवलाल हरिलाल सीतलवाड और दूसरे (7) में प्रिवी काउंसिल का है। इसे इस प्रकार देखा गया:-

> "किसी भी अन्य अनुबंध करने वाले पक्ष की तरह, ज़मानतकर्ता को किसी ऐसी चीज़ के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिसके लिए उसने अनुबंध नहीं किया है। यदि1' मूल पक्ष स्पष्ट रूप से मूल अनुबंध की शर्तों को बदलने के लिए सहमत हुए हैं तो कोई और प्रश्न नहीं उठता। मूल अनुबंध समाप्त हो गया है, और जब तक

ज़मानतकर्ता ने नई शर्तों पर सहमति नहीं दी है, तब तक ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए वह बाध्य हो सके, क्योंकि मुख्य देनदार का अंतिम दायित्व उस दायित्व से कुछ अलग होगा जिसकी ज़मानत ने गारंटी दी है। संभवत: अनुबंध में बदलाव किए बिना उसे तुरंत बर्खास्त कर दिया गया है

(7) एआईआर 1935 प्रिवी काउंसिल 21.

उनकी सहमति से, पार्टियों ने गारंटीकृत प्रदर्शन को असंभव बना दिया है।"

उपरोक्त निर्णय पर बाद में भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा भरोसा किया गया। उन मामलों पर संक्षेप में गौर किया जा सकता है, जो इस प्रकार हैं: मेसर्स, नुसेरवानजी शापितजी भेसनम और। कंपनी बनाम महामायी अनमल एवं अन्य। (8). इसी तरह का दृष्टिकोण पृथ्वी सिंह बनाम राम, चरण अग्रवाल और अन्य (9) में लाहौर उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा लिया गया था, और इस निर्णय पर ईशर सिंह बनाम राम सरन दास और अन्य में भी भरोसा किया गया था। (10), और भारत संघ में। खाद्य और कृषि मंत्रालय {खाद्य विभाग), नई दिल्ली बनाम पर्ल होजरी, मिल्स और अन्य (11)। जगजीवनदास जेठालाल बनाम किंग हैमिल्टन मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट। कंपनी (12), निम्नानुसार आयोजित: -

"ज़मानतदार के अधिकारों में उसकी सहमति के बिना हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। ज़मानत के संदर्भ के बिना लेनदार और मुख्य ऋणी के बीच अनुबंध में भौतिक परिवर्तन का प्रभाव, ज़मानत को मुक्त करना है * मुख्य ऋणी को समय देना ज़मानत को भुगतान करने से रोककर उसके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। लेनदार और फिर मुख्य देनदारों के खिलाफ लेनदार के मूल अधिकारों को लागू करना"।

इसी तर्ज पर बॉम्बे हाई कोर्ट के अन्य फैसले केशवलाल हरिलाल बनाम फ्रैताप सिंह मोहोलालभाई और अन्य (13), और पार्वतीबाई हरिवल्लभदास वाणी बनाम विनायक बलवंत जंगम और अन्य (14) हैं। मद्रास उच्च न्यायालय ने भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया; टीएन एंड क्यू बैंक लिमिटेड में। ऑफिशियल असाइनी, मद्रास (15), और द इंडियन बैंक मद्रास बनाम एस. कृष्णास्वामी और अन्य (16)। अपीलकर्ता के विद्वान वकील की दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि अपीलकर्ता द्वारा 'विलंबित भुगतान गारंटी' के संबंध में प्रस्तुत गारंटी के मूल समझौते में कोई भिन्नता नहीं थी। बैंक ने चार किश्तों संख्या 3 से 6 की रकम के संबंध में जो किया, जब वे देय हो गए, वह केवल इतना था

(8) एआईआर 1938 .मद्रास 585..

(9) एआईआर 1944 लाहौर 428..

(10) एआईआर 1958 पंजाब.337.

(11) एआईआर 1961 पंजाब 281. (डीबी)

(12) एआईआर 1931 बम्बई,337.

(13) एआईआर 1932 .बॉम्बे, 168.

(14) एआईआर 1939 बम्बई 23.

(15) एआईआर 1944 मद्रास 396.,

(16) एआईआर 1990 मद्रास 115।

उपरोक्त •राशि को बहालगढ़ शाखा में उधारकर्ता-कंपनी के नकद क्रेडिट खाते में डेबिट करें और इस तरीके से राशि का विनियोजन किया गया जैसा कि पहले ही ऊपर बताया गया है। उस स्तर पर 'स्थगित भुगतान गारंटी' के गारंटी समझौते में भिन्नता के संबंध में कोई प्रश्न नहीं उठा। जैसा कि पहले ही ऊपर कहा जा चुका है, बहालगाथ में उधारकर्ता-कंपनी के नकद क्रेडिट सीमा खाते के लिए दी गई नई गारंटी में 'स्थगित भुगतान गारंटी' का कोई संदर्भ नहीं दिया गया है।

(18) बैंक ने वादपत्र में 'आस्थगित भुगतान गारंटी' के तहत राशि की किस्तों के भुगतान में चूक की स्थिति में 2| प्रतिशत की दर से देय ब्याज का उल्लेख किया है। हालाँकि, किए गए समझौतों से पता चलता है कि ब्याज देय था बैंक-दर पर न्यूनतम 10 प्रतिशत की दर से। ऐसा लगता है कि 2| दर का गलत उल्लेख किया गया था जो कि किश्तों के भुगतान में कोई चूक होने पर बैंक द्वारा विदेशी-कंपनी को देय था। जहां तक देर से भुगतान का सवाल है उधारकर्ता-कंपनी द्वारा किश्तों की राशि जमा करने का संबंध है, देय ब्याज बैंक-दर न्यूनतम 10 प्रतिशत था। उसी आधार पर, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, बैंक बैंक-दर पर ब्याज का हकदार होगा। इसमें संदर्भ का संदर्भ बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 21 (2) (ई) से भी लिया जा सकता है जो इस प्रकार है: -

> धारा 21----------
>
> (2) उप-धारा (1) के तहत रिज़र्व बैंक में निहित शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रिज़र्व बैंक बैंकिंग कंपनियों को या तो आम तौर पर, या किसी बैंकिंग कंपनी या विशेष रूप से बैंकिंग कंपनियों के समूह को निर्देश दे सकता है। .
>
> (ई) ब्याज की दर और अन्य नियम और शर्तें जिन पर अग्रिम या अन्य वित्तीय समायोजन किया जा सकता है या गारंटी दी जा सकती है।

वादी बैंक अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के तहत ब्याज का हकदार है।

इस आधार पर कि दावा किया गया ब्याज अत्यधिक है, बैंक के दावे का खंडन नहीं किया जा सकता है। कोनकल्ला वेंकट सत्यनारायण (मृत्यु) और अन्य बनाम भारतीय स्टेट बैंक और अन्य (17) मामले में, यह माना गया कि सूदखोर ऋण अधिनियम के तहत कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि बैंक 'अत्यधिक ब्याज वसूल रहा था, यदि समझौते में ब्याज की अनुमति दी गई हो मासिक विश्राम. इंडियन बैंक, तिरुयन्नामलाई बनाम वीए में मद्रास उच्च न्यायालय

(17) एआईआर 1975 एपी 113।

बालासुब्रमण्यम(18) ने माना कि सूदखोर ऋण अधिनियम और बैंकिंग विनियमन अधिनियम अलग-अलग तरीके से संचालित होने वाले दो अलग-अलग अधिनियम हैं। बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत बैंक द्वारा ब्याज वसूलना अन्य अधिनियम द्वारा नियंत्रित नहीं है। यह माना गया कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम के प्रावधान अकेले राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अग्रिमों पर ब्याज दर को नियंत्रित करते हैं।

(19) इस प्रकार वर्तमान मामले में वादी-बैंक समझौते में प्रदान की गई न्यूनतम शर्त के अधीन सहमति के अनुसार बैंक-दर पर वैध रूप से ब्याज का दावा कर सकता है।

(20) अन्य गारंटरों ने भी 1982 के सीपी नंबर 69 में उनके खिलाफ पारित डिक्री के खिलाफ अपील दायर की है। वह अपील प्रतिवादी संख्या 2 से 6 तक है। ये प्रतिवादी 'स्थगित भुगतान गारंटी' खातों में गारंटर थे। जहां तक 'आस्थगित भुगतान गारंटी' खाते का संबंध है, वे नकद क्रेडिट खाते में चार किस्तों की राशि के समायोजन के लाभ के भी हकदार हैं। उनमें से जिनके पास नकद क्रेडिट खाते में गारंटी थी, वे भी, निश्चित रूप से, ऐसे खातों में दी गई गारंटी की सीमा तक उत्तरदायी होंगे। जैसा कि पहले ही ऊपर कहा जा चुका है, प्रतिवादी संख्या 2 और 4 रुपये के साथ 7वें नकद क्रेडिट खाते में गारंटर बने थे। 45,00,000 की सीमा. ये प्रतिवादी अन्यथा नकद क्रेडिट खाते में देय राशि के लिए उत्तरदायी होंगे जिसमें 'आस्थगित भुगतान गारंटी' खाते की चार किस्तों की राशि भी शामिल है। उनका दायित्व प्रतिवादी संख्या 1 के

समान है। प्रतिवादी संख्या 3 रुपये की सीमा तक नकद क्रेडिट सीमा खाते में केवल गारंटर था। 6,50,000 जो खाता संख्या 2 था। हालाँकि यह खाता बाद में छठा खाता खुलने पर विलय कर दिया गया था, लेकिन उसकी देनदारी रुपये की सीमा तक होगी। नकद क्रेडिट सीमा खाते में कुल 6,50,000 रुपये, 7वीं किस्त के संबंध में 'आस्थगित भुगतान गारंटी' खाते में जमा की गई मूल गारंटी के तहत उसकी देनदारी के अलावा, जिसका भुगतान नहीं किया गया था। प्रतिवादी संख्या 5 नकद क्रेडिट सीमा खाते का गारंटर था जो रुपये की सीमा तक था। 7,50,000 (खाता संख्या 5)। एकल न्यायाधीश द्वारा उनका दायित्व ठीक ही तय किया गया था। प्रतिवादी, संख्या 6 और 7 रुपये के नकद क्रेडिट सीमा खाते में गारंटर बने। 15,00,000 (खाता संख्या 6). उनका दायित्व नकद ऋण सीमा खाते में उस सीमा तक होगा जबकि 'स्थगित भुगतान गारंटी' खाते में प्रतिवादी संख्या 6 का दायित्व 7वीं किस्त की राशि के संबंध में देय राशि के संबंध में भी होगा।

(21) अपीलकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि जब भी नकद ऋण सीमा बढ़ाई गई और नए दस्तावेजों को निष्पादित किया गया, जिसमें नए प्रोनोट और उसके पक्ष में किए गए समर्थन शामिल थे।

(18) एआईआर 1982 मद्रास 296।

बैंक के पिछले समझौते, दी गई गारंटियाँ इतिहास का हिस्सा बन गईं और उन्हें लागू नहीं किया जा सका। जहां तक नकद ऋण सीमा खातों का सवाल है, इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत गारंटियों के संबंध में इसी तरह के दस्तावेज़ निष्पादित किए गए थे। बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली गारंटियों में अतिरिक्त प्रतिभूतियाँ और गारंटियाँ होती हैं जो प्रस्तुत की गई ऐसी गारंटियों को प्रभावित नहीं करेंगी। ऐसे मामले में यह माना जाएगा कि पिछले गारंटरों ने अतिरिक्त गारंटी के लिए बैंक को लिखित रूप में सहमति दी थी और उनकी देनदारी प्रभावित नहीं होगी। वर्तमान मामले के तथ्यों पर इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने में विद्वान एकल न्यायाधीश बिल्कुल सही थे।

ई (22) प्रतिवादी नंबर 1 मेसर्स डेप्रो फूड्स लिमिटेड की मशीनरी मुकदमे के लंबित रहने के दौरान बेची गई थी। बिक्री आय की राशि रुपये से अधिक थी। 3,90,790. प्रतिवादी संख्या 8 के साथ-साथ अन्य प्रतिवादियों-गारंटरों की ओर से यह तर्क दिया गया है कि यह राशि उनके दायित्व के विरुद्ध समायोजित की जानी है। सैद्धांतिक रूप से बैंक की ओर से इस रुख पर कोई विवाद नहीं है। चूँकि वर्तमान अपीलें प्रारंभिक डिक्री के विरुद्ध हैं और अंतिम डिक्री अभी पारित नहीं हुई है, इसलिए इस राशि को अंतिम डिक्री पारित होने के समय समायोजित किया जा सकता है।

(23) प्रतिवादी संख्या 8 और गारंटरों द्वारा सीपी संख्या 75 में दो अपीलें दायर की गई हैं जो क्रमशः उपरोक्त अपीलकर्ताओं द्वारा 'आस्थगित भुगतान गारंटी' समझौते की शेष किश्तों की राशि से संबंधित हैं। चूंकि इस राशि का भुगतान प्रतिवादी नंबर 1 या गारंटरों द्वारा किसी भी समय नहीं किया गया था, इसलिए बैंक कंपनी के साथ-साथ गारंटरों और प्रतिवादी नंबर 8 के खिलाफ भी इसका हकदार है, जो कि समायोजन के संबंध में ऊपर बताया गया है। कंपनी की मशीनरी की बिक्री आय, इस मामले में भी एक अंतिम डिक्री पारित की जाएगी।

(24) अपीलकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया है कि अपीलकर्ताओं को तीसरे खाते की राशि के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है जो रुपये की सीमा तक स्वच्छ सावधि ऋण था। 5,00,000 और जिसके लिए

अपीलकर्ता कभी गारंटर नहीं बने। इसी प्रकार खाता संख्या 4 रुपये की सीमा तक नकद क्रेडिट सीमा के संबंध में तर्कों को संबोधित किया गया है। 1,00,000 जिसमें केवल प्रतिवादी नंबर 2 ही गारंटर बना था। इन विवादों में कोई दम नहीं है. जैसा कि पहले ही ऊपर चर्चा की जा चुकी है, बैंक को एक खाते की राशि को दूसरे खाते से विनियोग करने का अधिकार है। बैंक ऐसे खातों को मिला सकता है और अतिरिक्त गारंटी देकर इसे और सुरक्षित कर सकता है। वर्तमान मामले में ऐसा ही किया गया।

(25) ऊपर दर्ज कारणों से, दोनों मुकदमों में प्रतिवादी नंबर 8 द्वारा दायर अपील की अनुमति दी जाती है। एकल न्यायाधीश के निर्णयों और डिक्रीओं को संशोधित किया जाता है। 1982 के सीपी नंबर 69 में प्रतिवादी नंबर 8, बीपी गुप्ता के आधार पर मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा। प्रतिवादी नहीं? 7वीं किस्त की राशि यानी 8 रुपये का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। 55, 233.03 पी. रुपये की राशि. उधारकर्ता-कंपनी द्वारा जमा किए गए 62,Q00 को समायोजित किया जाना था और इस तरह रुपये की राशि। 6766.07 पैसे अभी भी अधिक थे। चार किश्तों की राशि, जैसा कि ■ ऊपर पहले ही रखी जा चुकी है, उससे 'आस्थगित भुगतान गारंटी' खाते में वसूल नहीं की जा सकती। जैसा कि ऊपर पाया गया है, इस अतिरिक्त राशि को मशीन की बिक्री आय के साथ दूसरे मुकदमे में समायोजित किया जा सकता है। इस प्रकार इस मुकदमे (सीपी नंबर 69/1982) में उनके खिलाफ पारित डिक्री रद्द कर दी गई है।

(26) 1986 की सिविल अपील संख्या 11, 1982 के सीपी संख्या 69 में प्रतिवादी संख्या 2 से 6 द्वारा दायर की गई है। प्रतिवादी संख्या 2 की अपील खारिज कर दी जाती है क्योंकि वह प्रतिवादी संख्या 1 से देय राशि के लिए उत्तरदायी है। वह सातवें खाते के लिए रुपये की गारंटी देता था। 45,00,000.

(27) प्रतिवादी संख्या 3 की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाएगी। उन्हें कैश क्रेडिट खाते में चार किस्तों की राशि विनियोग का लाभ दिया जाना है. इस प्रकार 'आस्थगित भुगतान गारंटी' खाते में उसकी देनदारी रुपये की 7वीं किस्त की सीमा तक है। 55,233.03 पी. और दूसरे खाते में दी गई

गारंटी की राशि यानी रु. कुल 6,50,000 रु. 7.05,233.03. इस राशि में से उसे रुपये का क्रेडिट मिलना है। उधारकर्ता-कंपनी द्वारा 62,000 रुपये का लाभ छोड़कर जमा किया गया। 6,43,233.03 पी. उस सीमा तक एकल न्यायाधीश के निर्णय और डिक्री को संशोधित किया जाता है। यह कहा जा सकता है कि पर. अंतिम डिक्री पारित होने के समय मशीनरी की बिक्री आय की राशि का समायोजन प्रभावी किया जाएगा।

(28) प्रतिवादी क्रमांक 6 की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अंतिम खाता संख्या 6 में उसकी देनदारी रुपये तय की गई है। 44,04,504.63 पी. 'आस्थगित भुगतान गारंटी' खाते में वह सातवीं किस्त भी रुपये का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। 55,233.03, कुल रु. 44,59,737.66. यहां तक कि इस रकम के लिए उसके खिलाफ डिक्री भी पारित कर दी जाती है. उस सीमा तक एकल न्यायाधीश के निर्णय और डिक्री को संशोधित किया जाता है।

(29) अन्य प्रतिवादियों की अपील (सीए नंबर 11) कायम है बर्खास्त.

(30) 1986 की सिविल अपील संख्या 8 को 1982 के सीपी संख्या 75 में दायर किया गया है। एकल न्यायाधीश द्वारा देय राशि को सही तरीके से तय किया गया है। हालाँकि, अंतिम डिक्री पारित होने के समय न्यायालय रुपये की राशि समायोजित करेगा। 6,766.97 पी. जिसे प्रतिवादी संख्या 8, अपीलकर्ता बीपी गुप्ता द्वारा दायर सिविल अपील संख्या 10/1986 का निर्णय करते समय अधिक पाया गया है। उसे मशीनरी की बिक्री से प्राप्त राशि का समायोजन भी दिया जाएगा। उस सीमा तक एकल न्यायाधीश का निर्णय और डिक्री संशोधित है।

(31) 1982 के सीपी संख्या 75 की 1986 की सिविल अपील संख्या 9 को इस अवलोकन के साथ खारिज कर दिया जाता है कि मशीनरी की बिक्री आय की राशि अंतिम डिक्री पारित होने के समय समायोजित की जाएगी।

(32) इन सभी अपीलों में पक्षकार हैं। उन्हें अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया गया।

जेएसटी

*पहले: एनके सोढ़ी,*जे।

डॉ। गुरबचन सिंह बाजवा, -याचिकाकर्ता, बनाम

द. पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना,--प्रतिवादी।

*सिविल रिट याचिका संख्या*2005 का 1988.

22 अगस्त, 1991.

*हरीफिना। और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम,*1970—एस. 20, क़ानून,3. और 4—नियुक्ति—चयन प्रक्रिया—प्रावधान, कुलपति को या तो प्रबंधन बोर्ड के एपीपीसीवैल के लिए एकल सिफारिश करने या तीन नामों की सिफारिश करने के लिए एक चयन समिति नियुक्त करने का अधिकार देता है—कुलपति को भी। चयन समिति द्वारा अनुशंसित लोगों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की सिफारिश करने में सक्षम - चयन समिति वीसी को

डॉ. गुरबचन सिंह बाजवा बनाम द, पंजाब एग्रीकल्चरल 29£
विश्वविद्यालय, लुधियाना (एनके सोढ़ी, जे.)

केवल दो नामों की सिफारिश करती है - चयन प्रक्रिया केवल चयन समिति द्वारा सिफारिशों के साथ समाप्त नहीं होती है - यह केवल तभी पूरी होती है जब सिफारिश करने वाले को प्रबंधन बोर्ड की मंजूरी मिल जाती है वाई सी द्वारा अनुशंसित।^-याचिकाकर्ता को अन्यथा नियुक्ति का दावा करने का कोई अधिकार नहीं मिलता है।

*आयोजित,*ऐसा तभी होता है जब कुलपति की सिफारिश को प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जितेश कुमार शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

झज्जर , हरियाणा